



भारतीय रिज़र्व बैंक /RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/Thiruvananthapuram

निविदा आमंत्रण सूचना

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों के नवीनीकरण के लिए निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम 5 लाख से 10 लाख के बीच लागत वाले कार्य की उक्त श्रेणी के अंतर्गत बैंक के सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों से उपर्युक्त कार्य के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदाएँ **एमएसटीसी लि.** के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से की जाएँगी। सभी इच्छुक सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से **एमएसटीसी लि** के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

कार्य का नाम	बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों के नवीनीकरण के लिए निविदा
कार्य की अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹8.24 लाख
e-Tender no	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/12/25-26/ईटी/357
निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन: भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से
एनआईटी/निविदा की तिथि पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है	01 अगस्त 2025
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	08 अगस्त, 2025 को पूवाह्न 11:00 बजे
एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	08 अगस्त, 2025 अपराह्न 06:00 बजे से
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	18 अगस्त 2025, मध्याह्न 3:00 बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय	18 अगस्त, 2025 अपराह्न 4:00 बजे
लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाया गया आरोप

2. विक्रेता कृपया ध्यान दें कि नए एमएसटीसी पोर्टल का पाथ <https://www.mstcecommerce.com/>
→ eProcurement → Common Portal → Vendor Login है।

3. यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह इस सीमित निविदा को उद्धृत करने के लिए खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित खरीद इकाई के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक ही सीमित है। अनचाहे प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के पास नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. भविष्य में निविदा में यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
(केरल और लक्षद्वीप)



संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

**बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास
 शौचालयों के नवीनीकरण के लिए निविदा**

निविदाकार का नाम _____

पता _____

निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	01 अगस्त, 2025.
बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की वैधता	निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	18 अगस्त 2025 को 15:00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि	18 अगस्त 2025 को 16:00 बजे।

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी यहाँ विनिर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पार्टियों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं तथापि न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या इनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंट या परामर्शदाता ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी या कोई प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्त या निहित, प्रदान की है।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी जांच स्वयं करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे न बढ़ाने या परियोजना के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

निविदा आमंत्रण सूचना

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम 5 लाख से 10 लाख के बीच लागत वाले श्रेणी के अंतर्गत उक्त कार्य के लिए बैंक के सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों से उपर्युक्त कार्य के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदाएँ MSTC Ltd के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से की जाएँगी। सभी इच्छुक सूचीबद्ध विक्रेताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से MSTC Ltd के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

कार्य का नाम	बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण।
कार्य की अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹ 8.24 लाख
ई-निविदा संख्या	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/12/25-26/ईटी/357
निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन: भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से
बयाना राशि जमा	शून्य
एनआईटी / निविदा की तिथि पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है।	01 अगस्त 2025
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	08 अगस्त, 2025, 11:00 AM
एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	08 अगस्त, 2025 अपराह्न 06:00 बजे से
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की समाप्ति की तिथि	18 अगस्त 2025, मध्याह्न 3:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	18 अगस्त, 2025 अपराह्न 4:00 बजे
लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाया गया आरोप

भविष्य में निविदा में यदि कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं। विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

क) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी) विक्रेताओं के लिए

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड - केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नं.	मोबाइल नं
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmtc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in tvcpn3@mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686
---	--	----------------------

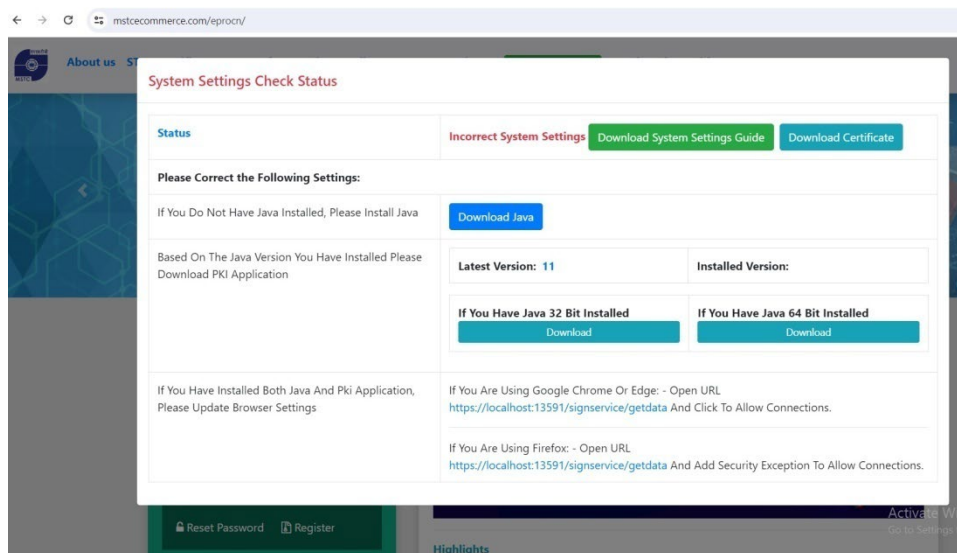
संपर्क व्यक्ति (आरबीआई - केवल कार्यालय समय के दौरान):

1. श्री षाजी कृष्णन (सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग)
0471-278 3030/ (kshajikrishnan@rbi.org.in)
2. श्री डी भरत कुमार (सहायक प्रबंधक, संपदा विभाग)
0471-278 3042/ (bharathd@rbi.org.in)

मार्गदर्शक

1. प्रणाली मांग :

विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है



2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता /

ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

5. ई-निविदा में बोली लगाना :

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में **दस्तावेज़ अपलोड करें** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई - निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

- a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई - निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई - निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई - प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क- > सामान्य शर्तें-> दस्तावेज़ संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज़ और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट

विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

- c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट - :अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- a) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- b) संपूर्ण ई -निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।
- c) ई पूर्व मंच निविदा -घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
- d) ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।
- e) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- f) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

g) -निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है द्वारा बोलीदाता भी किसी ई-निविदा प्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

h) माप की इकाई)यूओएम (ई-निविदा प्लोर में दर्शाई गई है - - ई दर वाली जाने की उद्धृत निविदा प्लोर /निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

निविदा के भाग। के खुलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा प्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।



संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण

अंतर्वस्तु

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1)	प्रस्ताव पत्र	10
2)	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश	12
3)	संविदा की सामान्य शर्तें	17
4)	विशेष शर्तें	33
5)	सुरक्षा कोड	35
6)	अग्नि सुरक्षा संहिता	36
7)	परिशिष्ट यहाँ पहले संदर्भित	37
8)	सामग्री के अनुमोदित निर्माताओं/निर्माताओं की सूची	38
9)	मात्राओं की बिना मूल्य वाली अनुसूची	39
10)	करार की शर्तें	46
11)	फर्मों को बोली लगाने से रोकने के संबंध में वचनबद्धता	52
12)	चित्र	53

खंड - ए
प्रस्ताव का पत्र / LETTER OF OFFER

स्थान:
दिनांक:

सेवा में

श्री थॉमस मैथ्यू
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम - 695033

महोदय ,

यहाँ इसके बाद निर्दिष्ट ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में विशेष विवरण, अभिकल्पना और मात्रा - अनुसूची की जाँच करने के पश्चात् और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थान को देखने और उसकी जाँच करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम इसके द्वारा ऐसी सभी शर्तों के अनुरूप जो जिस रूप में लागू होगी, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को समय-ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्रा - अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा हर प्रकार से विनिर्देशों, अभिकल्पनाओं, रेखाचित्रों और निविदा की शर्तों में दिये गये लिखित अनुदेशों, "करार की शर्तों", विशेष शर्तों, मात्रा - अनुसूची और संविदा की शर्तों और उसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के साथ सप्लाई और कार्य का निष्पादन करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(क)	काम का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण
(ख)	भुगतान की शर्तें	सामान्य डिग्री के खंड 32 और परिशिष्ट के अनुसार / सामान्य शर्तों और परिशिष्ट के खंड 32 के अनुसार।
(ग)	कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय	: आदेश जारी होने की तिथि के 10वें दिन से आठ सप्ताह
(घ)	अनुमानित लागत	₹8.24 लाख जीएसटी सहित
(ङ)	अग्रिम धन जमा (ईएमडी)	शून्य
(च)	बिल से प्रतिधारण धन के प्रति कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी, यदि कोई हो/	5%

यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम इसके द्वारा यहाँ इसके साथ संलग्न उक्त संविदा की शर्तों और उक्त शर्तों के उपबंधों का पालन करने और उस सीमा तक उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/ हैं जहां तक वे लागू हैं अथवा वैसा न कर पाने की स्थिति

हमारे बैंकरों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

- i)
- ii)

भवदीय,
निविदाकार के हस्ताक्षर

खंड बी

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. **‘बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों के नवीनीकरण कार्य’** के लिए आरबीआई पोर्टल के अंतर्गत एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा 18 अगस्त, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे से पहले जमा की जानी चाहिए। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। 18 अगस्त, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे के बाद प्राप्त कोई भी निविदा एमएसटीसी पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. बोलीदाता अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बैंक इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा कोई भी अतिरिक्त शर्तें रखने की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि, यदि निविदाकर्ता कोई शर्त/स्पष्टीकरण शामिल करना चाहते हैं, तो उसे एमएसटीसी पोर्टल पर उनके लेटरहेड पर अलग से अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए स्पष्टीकरण/शर्तों आदि, यदि कोई हों, की जाँच की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद, बैंक को स्वीकार्य शर्तों से निविदाकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बोलीदाताओं द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करने का बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।
3. बोलीदाता निर्धारित तिथि और समय पर बैंक के मुख्य कार्यालय में निविदा उद्घाटन समारोह में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं। निविदा 18 अगस्त, 2025 को शाम 4:00 बजे या उसके बाद की किसी तिथि और समय पर खोली जाएगी। इसकी सूचना बोलीदाताओं को दी जाएगी।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को संबोधित करके प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. निविदाएं, निविदा खुलने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है तथा निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।
6. उद्धृत दरें संविदा की समाप्ति तक बिना किसी वृद्धि के, स्थिर और बाध्यकारी होंगी। एमएसटीसी पोर्टल पर मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण, पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हो सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता को इस निविदा दस्तावेज़ से सभी विनिर्देशों/चित्रों/शर्तों को अवश्य पढ़ना होगा।
7. किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के बिल के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि पर ही विचार किया जाएगा।
8. इस निविदा के नियमों और शर्तों से स्वयं को परिचित कराने के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा सकता है।
9. यदि कोई भी दस्तावेज़ गायब है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को अमान्य मान सकता है। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. **‘ई-खरीद के लिए दिशानिर्देश’** में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच नहीं मिलेगी।

11. बैंक उनके बिल/बिलों से किए गए कार्य के कुल मूल्य का 5% रिटेंशन मनी के रूप में रोक लेगा। आरएम को दोष-देयता अवधि के 12 महीने सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। यदि आरएम संविदा की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
12. भारतीय रिज़र्व बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
13. नियोक्ता से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता संविदा को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल बोलीदाता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
14. इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय नहीं हो जाती है, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर नकद में कटौती की गई राशि की भरपाई करेगा।
15. ठेकेदार संविदा को किसी को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद बैंक द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. ठेकेदार को सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित डिज़ाइन, चित्र, विवरण, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करने होंगे। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में डिज़ाइन में परिवर्तन करना आवश्यक हो और नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ वे ठेकेदार से ऐसा करवाना चाहें, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऐसा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
17. बोलीदाताओं के लिए इन निर्देशों के साथ प्रत्येक कार्य और विशिष्टताओं के संबंध में संभावित मात्राओं की एक अनुसूची भी दी गई है। संभावित मात्राओं की इस अनुसूची में बैंक के विवेकानुसार कुछ छूट, कटौती या वृद्धि की जा सकती है।
18. निविदाकर्ता को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्चे पर वह सभी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी जो निविदा बनाने तथा संविदा करने के लिए आवश्यक हों तथा उसे चित्रों (यदि कोई हों) की जांच करनी होगी तथा कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा तथा सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित करना होगा।
19. निविदा में उद्धृत दरों में कार्य शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद साइट की सफाई, सेंट्रिंग, बॉक्सिंग, स्टेजिंग, प्लैंकिंग, संयंत्र और उपकरण, भंडारण शेड, रात में निगरानी और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ रविवार और छुट्टियों सहित दिन, प्लंबिंग और बिजली आपूर्ति व्यवस्था के लिए अस्थायी लाइनें (बैंक के परिसर के भीतर उपलब्ध स्रोतों पर पानी और बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है), जनता की सुरक्षा और दीवारों, इमारतों और अन्य सभी निर्माणों, मामलों या चीजों की सुरक्षा के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे और ठेकेदार किसी भी या सभी ऐसी सेंट्रिंग, मचान, स्टेजिंग आदि को हटा देगा और हटा देगा, जैसा कि आवश्यकता होगी या ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा और कार्य के निष्पादन के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए बाधित सभी मामलों और

चीजों को पूरी तरह से बहाल और ठीक कर देगा। उद्धृत दरें साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए मानी जाएंगी।

20. एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा में प्रत्येक वस्तु के लिए दरें जीएसटी को छोड़कर उद्धृत की जाएंगी। जीएसटी सहित कुल राशि की गणना एमएसटीसी पोर्टल द्वारा की जाएगी और जीएसटी सहित सभी वस्तुओं की कुल राशि को कुल संविदा मूल्य माना जाएगा। प्रत्येक चालान/बिल में अन्य बातों के अलावा, ठेकेदार का पैन और जीएसटी पंजीकरण संख्या भी दर्शाई जाएगी। संविदा मूल्य पर भी कानून के अनुसार टीडीएस/विदहोलिंग टैक्स लगेगा। बिक्री कर, कार्य संविदा पर बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी, सेवा कर, चाहे मौजूदा हो या भविष्य में, के संबंध में नियोक्ता द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. मात्रा अनुसूची में मात्राएँ लगभग कार्य की कुल सीमा दर्शाती हैं, लेकिन किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं और इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, जिससे संविदा का कुल मूल्य बदल सकता है। हालाँकि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान, यदि कार्य की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा के 25% से अधिक हो जाती है, तो बैंक के इंजीनियर के प्राधिकार और नियोक्ता की सहमति से, निविदा मात्रा के 25% से अधिक निष्पादित ऐसी वस्तुओं की मात्रा को कार्य की एक अतिरिक्त वस्तु माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत के आधार पर किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के उपरिव्यय और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त देना होगा। कार्य की ऐसी सभी वस्तुओं की दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए वृद्धि सूत्र, यदि कोई हो, के अनुसार सामग्री और श्रम दरों की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि नियोक्ता के पूर्ण विवेक पर स्वीकृत निविदा से कार्य की किसी भी वस्तु को छोड़ दिया जाता है, तो ठेकेदार इस संबंध में किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
22. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी।
23. संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता से किया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 27 में परिभाषित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। निविदाकर्ता को कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि ठेकेदार विस्तृत कार्य योजना के अनुसार कार्य जारी रखने में विफल रहता है या कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक श्रमिकों की तैनाती करने में विफल रहता है, तो बैंक के पास संविदा समझौते को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
24. निविदाओं पर केवल संबंधित ट्रेडों में बैंक द्वारा सूचीबद्ध ठेकेदारों की सूची से ही विचार किया जाएगा।
25. ठेकेदार कार्य शुरू करने या उसे पूरा करने में हुई देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-संविदा में हुई देरी, परियोजना के अन्य व्यवसायों के लिए ठेके देने में देरी, ऐसे कार्यों के शुरू या पूरा होने में देरी, सरकारी नियंत्रण वाली या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में देरी, निर्माण कार्यों के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में देरी या किसी भी अन्य कारण से हुई देरी शामिल है और नियोक्ता इसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, बशर्ते कि इसमें दिए गए परिवर्तनों के अधीन हो।
26. सफल निविदाकर्ता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुएँ मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्राओं के संबंध में निर्देशों की अनुसूची, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।
27. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि कार्य का निष्पादन कम से कम विलंब के साथ तथा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार सुचारू रूप से हो सके।

28. ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि सभी कार्य बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों, डिज़ाइन आरेखों और स्थानीय लोक प्राधिकरणों तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप ही किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की चूक की अनुमति नहीं होगी। कार्य की गुणवत्ता कार्य विनिर्देशों के अनुसार बैंक के लिए संतोषजनक होनी चाहिए। ठेकेदार को निष्पादित कार्य की किसी भी निम्न गुणवत्ता के लिए बैंक से क्षतिपूर्ति करनी होगी।
29. सफल निविदाकर्ता को कार्य हेतु आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जहाँ तक संभव हो, सामग्री प्रथम/उच्च गुणवत्ता वाली और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
30. सफल निविदाकर्ता को आवश्यक सामग्री, जिसके लिए मद में "मूल मूल्य" निर्धारित किया गया है, बैंक द्वारा अनुमोदित और चयनित निर्माता से तथा समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित दर पर खरीदने के लिए बाध्य होना होगा।
31. जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को चयन के लिए सामग्री के 3 या 4 नमूने प्रस्तुत करने होंगे और चयनित वस्तुओं के लिए खरीद दर ऐसी सामग्री खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियर से अनुमोदित करानी होगी। सामग्री का मूल मूल्य, जीएसटी को छोड़कर, डीलर के गोदाम-पूर्व मूल्य पर सामग्री की लागत के रूप में लिया जाएगा। यदि निविदा में निर्दिष्ट मूल दर और चयनित सामग्री की लागत में कोई अंतर है, तो ठेकेदार को भुगतान करते समय इस अंतर को समायोजित किया जाएगा। सामग्री के मूल्य में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर ही किया जाएगा। इस अंतर पर ठेकेदार को 15% का लाभ दिया जाएगा। ठेकेदार को सामग्री की लागत के अंतर का निपटान करने के लिए, क्रय की वास्तविक दर का पता लगाने हेतु, बैंक को सत्यापन हेतु सभी खरीदी गई सामग्रियों के भुगतान किए गए बिल प्रस्तुत करने होंगे।
32. निविदाकर्ता को ई-निविदा खण्डों में निहित अनुमोदित ब्रांड और/या विनिर्माण की सामग्री की सूची में निर्दिष्ट निर्माताओं/निर्माताओं की सामग्री का उपयोग करना होगा।
33. परिसर के भीतर एक स्थान पर कार्य निष्पादन के लिए बिजली और पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठेकेदार को आवश्यक स्थानों तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हालाँकि, ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली और पानी की अनावश्यक बर्बादी न हो। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ठेकेदार को आवश्यक सुरक्षा उपाय करने होंगे। यदि इस मामले में ठेकेदार की ओर से कोई लापरवाही बरती जाती है, तो बैंक द्वारा ठेकेदार को दंडित किया जाएगा।
34. ठेकेदार को संलग्न सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।
35. निविदा में जहां भी आईएस कोड संख्या का उल्लेख किया गया है, वह निविदा खुलने की तिथि के अनुसार नवीनतम संस्करण होगी।
36. सफल निविदाकर्ता की सम्पूर्ण सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वह/वे निविदा की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहते हैं।
37. त्रुटियाँ, चूक और विवरण:-
 - क) सामान्य विनिर्देशों में मद के वर्णन और उसी मद की मात्रा अनुसूची में विस्तृत वर्णन के बीच, बाद वाले को अपनाया जाएगा।
 - (ख) अंकों और शब्दों में उल्लिखित दरों में अंतर होने की स्थिति में, मूल निविदा प्रपत्र में वस्तु की कुल राशि की गणना के लिए अपनाई गई दर को ही सही माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सही दर वह होगी जो कम हो।
38. निविदा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों, डिज़ाइन और रेखाचित्रों या किसी अन्य मामले के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्य समय के दौरान बैंक से प्राप्त किया जाना चाहिए। निविदा प्रस्तुत होने के बाद, ऐसे प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में, निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार मामले का निर्णय लिया जाएगा।

39. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन और पूर्ति करनी होगी। ठेकेदार को बैंक को एक दिन में काम पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या प्रस्तुत करनी होगी। बाद में किसी भी वृद्धि की सूचना बैंक को अविलंब देनी होगी। यदि काम के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और काम के लिए नियोजित श्रमिकों का रिकॉर्ड रखना होगा।
40. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश/निर्देश, और साथ ही कोविड-19 महामारी के संबंध में बैंक द्वारा बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। नियंत्रण क्षेत्र या संगरोध के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को काम के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आपको बैंक में तैनात कर्मचारियों की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है और यदि किसी कर्मचारी/कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 'कोविड' संक्रमित पाया जाता है, तो तुरंत कर्मचारियों को बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब वे तैनात रहें तो कर्मचारियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। आप उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के आवश्यक दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र आदि प्रदान करेंगे। इसके अलावा, आप उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में आपकी विफलता, गलती या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय/कानूनी देनदारी से बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

जगह :

नाम और पता:

संविदा की सामान्य शर्तें

इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें

- इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और संविदा समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

क) "नियोक्ता"	इसका तात्पर्य क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम से होगा तथा इसमें उसके समनुदेशिनी और उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।
ख) "ठेकेदार" कंपनी के मामले में	"ठेकेदार का अर्थ _____ से होगा, जो _____ 19__/20__ के अंतर्गत निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे।
ग) "बैंक इंजीनियर"	'शैल' का तात्पर्य नियोक्ता द्वारा संविदा के प्रयोजन के लिए बैंक के इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है और शर्तों में इस रूप में नामित है। [एएम (टेक)/ प्रबंधक (टेक)/ एजीएम (टेक)]।
घ) "साइट"	इसका तात्पर्य संविदा कार्य के स्थल से होगा, जिसमें कोई भवन और उस पर निर्माण तथा कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है, जैसा कि पूर्वोक्त रूप से नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।
ङ) "यह संविदा"	इसका तात्पर्य संविदा का अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची, इसके साथ संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित डिजाइन चित्र से होगा।
च) "विनिर्देश"	इसका तात्पर्य संविदा में शामिल कार्यों के विनिर्देशन और उसमें ठेकेदार द्वारा किया गया या प्रस्तुत किया गया तथा इंजीनियर द्वारा अनुमोदित कोई संशोधन या परिवर्धन से है।
छ) "लिखित सूचना"	इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।
ह) "मात्रा का बिल"	इसका तात्पर्य निविदा का हिस्सा बनने वाले मूल्यांकित और पूर्ण मात्रा बिल से है।

i) "निविदा" इसका अर्थ है, ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को कार्य के निष्पादन और समापन तथा संविदा के प्रावधानों के अनुसार उसमें किसी भी दोष के निवारण के लिए दिया गया मूल्य प्रस्ताव, जैसा कि स्वीकृति पत्र द्वारा स्वीकार किया गया है।

j) "स्वीकृति पत्र" इसका अर्थ है निविदा की नियोक्ता द्वारा औपचारिक स्वीकृति

k) "दिवालियापन अधिनियम" इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।

एल) "शुद्ध मूल्य" यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। संविदा या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।

m) "कार्य" मतलब होगा ' बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर , तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण ' जैसा कि यहां प्रदान किया गया है

नोट: व्यक्तियों को प्रदान करने वाले शब्दों में फ़र्म और निगम शामिल हैं। केवल एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो, इसके विपरीत भी।

2. **संविदा का दायरा** : ठेकेदार उक्त कार्य को हर दृष्टि से इस संविदा के अनुसार और बैंक इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के अनुसार पूरा करेगा। बैंक इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर अतिरिक्त चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "निम्नलिखित के संबंध में बैंक इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

- डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों में बदलाव या संशोधन या किसी भी कार्य में जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन।
- ड्राइंग में या मात्राओं की अनुसूची और/या ड्राइंग और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।
- ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।
- किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए द्वार खुलना।
- इसके खंड 20 और 21 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत अनुपालन करना होगा और उसे विधिवत निष्पादित करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध

में दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, ऐसे निर्देश संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माने जाएंगे।

3. **नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन:** ठेकेदार को दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा समर्थित मात्रा और दरों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जाँच और अंतिम स्वीकृति के बाद प्राप्त दरें एक पूरक निविदा का रूप लेंगी। चित्रों के संबंध में निष्पादन के दौरान साइट की स्थितियों के अनुसार मामूली परिवर्तन (कुछ सेंटीमीटर के क्रम के) किए जा सकते हैं। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।
4. **चित्र, मात्राओं की अनुसूची:** संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए प्रत्येक की एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा उक्त प्रत्येक चित्र (यदि कोई हो) और विनिर्देश की एक प्रति और कार्यों की प्रगति के दौरान जारी किए गए सभी आगे के चित्रों (यदि कोई हो) की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक ऐसे चित्रों की किसी भी अतिरिक्त प्रति के लिए उसे भुगतान करना होगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी चित्रों की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर, या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर इसकी पहुंच होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले वह तुरंत बैंक के इंजीनियर को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।
5. **ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी:** ठेकेदार को ड्राइंग के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी। मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों को साथ में लिया जाएगा, चाहे वे उसमें विशेष रूप से दर्शाए या वर्णित हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को इसकी सूचना देगा, जो निर्णय लेगा कि किसका पालन किया जाए। ड्राइंग और विनिर्देशों/मात्राओं की अनुसूची के बीच, मात्राओं की अनुसूची ही मान्य होगी।
6. **प्राधिकारी, सूचनाएं और पेटेंट:** ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणालियों से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के नियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और चित्रों (यदि कोई हो) या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देश के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 18 के अंतर्गत विचार किया जाएगा। उसके।
ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।
ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत तथा सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।
7. **कार्य की रूपरेखा:** ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए जिम्मेदार होगा, साथ ही उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए भी जिम्मेदार होगा और कार्य शुरू करने से पहले उसकी स्वीकृति भी ली जाएगी। यदि ठेकेदार अपनी भूमिका निभाने में विफल रहता है, तो बैंक/नियोक्ता की संतुष्टि के लिए किसी भी त्रुटि/दोष को उसके स्वयं के व्यय पर ठीक किया जाएगा।

8. **सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए :** सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की होनी चाहिए और बैंक इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार बैंक इंजीनियर के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री विवरण के अनुरूप है। ठेकेदार को कार्य में उपयोग से पहले, संबंधित आईएस प्रावधानों के अनुसार किसी भी सामग्री का परीक्षण प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में स्वयं अपने खर्च पर करवाना होगा और/या करवाना होगा।
9. **कार्यों पर ठेकेदार का अधीक्षण और प्रतिनिधि :** ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक इंजीनियर आवश्यक समझे, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य प्रगति पर रहने की पूरी अवधि के दौरान एक सक्षम, योग्य और अनुभवी इंजीनियर को भी नियुक्त करेगा, जो कर्मचारियों के कार्य करते समय निरंतर कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा। बैंक इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचनाएँ ठेकेदार को दी गई मानी जाएँगी।
10. **कामगारों की बर्खास्तगी :** ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को परामर्शदाता की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।
11. **कार्य तक पहुँच :** नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्य स्थल और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति होगी और ठेकेदार नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता या बैंक के इंजीनियर द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. **सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी) :** शब्द "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)" का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति होगा। ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी), या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा, या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाया जा सकता है। इस खंड की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।
13. **समनुदेशन और उप-पट्टा :** संविदा में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार संविदा की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।
14. **परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि:** कोई भी परिवर्तन, चूक या परिवर्तन इस संविदा को अमान्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता (बैंक के इंजीनियर के माध्यम से) द्वारा कार्य के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करने या उसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करने के निर्देश/सूचना दी जाए और इसकी लिखित सूचना ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर सहित दी जाए। ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार,

जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, उसमें वृद्धि करेगा या उसमें से कुछ हटाएगा, लेकिन ठेकेदार संविदा के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, न ही कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करेगा या संविदा के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या चूक का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 18 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे संविदा राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

15. **मात्राओं की अनुसूची** : मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्रासंगिक आईएस कोड में निर्दिष्ट माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस संविदा को रद्द नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, संविदा राशि में जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो) बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, ठेकेदार की दरों की अनुसूची में अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. **मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता** : यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जो दरें और मूल्य संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगे।

17. **कार्यों का मापन** : बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरन्त उपस्थित होगा या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) को ऐसे मापन और गणना करने में सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के द्वारा अपेक्षित सभी सहायता देगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही बरतता है या चूक करता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही कार्य का सही माप माना जाएगा। ये माप नवीनतम प्रासंगिक आईएस अभ्यास संहिताओं में वर्णित माप पद्धति के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो।

बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन, जिन्हें बाद में लिखित रूप में सूचित किया गया हो (नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ) ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

18. **अतिरिक्त आदि निर्धारण के लिए मूल्य** : ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित निर्देश दिए जाने पर, चित्रों में दर्शाए गए या विनिर्देश में वर्णित या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, घटा या परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, घटा या परिवर्तित नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर लिखित रूप में उनकी पुष्टि कर दिया जाता है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

हालांकि, काम के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि काम की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा से 25% से अधिक है, तो परियोजना के आर्किटेक्ट्स के प्राधिकार द्वारा नियोक्ता की सहमति से निविदा मात्रा के 25% से अधिक निष्पादित ऐसी वस्तुओं की मात्रा को काम की एक अतिरिक्त वस्तु के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत के आधार पर किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेंगे, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% भी जोड़ना होगा। काम की ऐसी सभी वस्तुओं की दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए वृद्धि सूत्र, यदि कोई हो, के अनुसार सामग्री और श्रम दरों की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम के खंड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को अधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- (a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो तथा उसमें मूल्यांकित कार्य के समान शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।
(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहां तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।
- (b) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।
- (c) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के अंतर्गत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके अंतर्गत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण संविदा कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की राशि ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्य की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या कीमत में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर ऐसी अन्य दर या कीमत तय करेगा, जिसे वह परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, नियोक्ता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ।
- (d) जहाँ अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, वहाँ ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्राओं में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य मूल्य दिए जाएंगे, या यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही स्थितियों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य पूरा होने के अगले सप्ताह के अंत तक या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएँ। संविदा के संबंध में मापन और मूल्यांकन "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (e) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी अधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए, जहाँ दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकतीं, ठेकेदार को सीपीडब्ल्यूडी की दर विश्लेषण अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरें प्रस्तुत करनी होंगी, या सीपीडब्ल्यूडी अनुसूची में उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं के लिए, "वास्तविक लागत आधार" के साथ बाजार दर पर आधारित, स्थापना शुल्क, ठेकेदार के उपरिव्यय और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त दरें प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि नहीं की जाएगी।

19. अनिर्धारित सामग्री को जब नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

20. अनुचित कार्य को हटाना : नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समयों के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और ऐसी सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे जो चित्रों (यदि कोई हो) और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न हो और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके

आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जा सकते हैं।

21. **वास्तविक कार्य पूर्ण होने के बाद दोष** : कोई भी दोष, सिकुड़न, समायोजन या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या यदि किसी ने इनका उल्लेख नहीं किया है तो कार्य के वास्तविक कार्य पूर्ण होने के बारह महीनों के भीतर, जो नियोक्ता की राय में संविदा के अनुरूप न होने वाली कारीगरी की सामग्री से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक की स्थिति में नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न समायोजन या अन्य दोषों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय जो इसके आनुषंगिक हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा ठीक किया जाएगा और वहन किया जाएगा या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से काट लिया जाएगा या जो ठेकेदार को देय हो सकती है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और समायोजन के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जिसे नियोक्ता द्वारा समकक्ष निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत और इस धारा के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे इस धारा के तहत खंड 13 और 23 के तहत नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस धारा और इस धारा के खंड 2 के प्रावधान के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद ठेकेदार खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।
22. **वास्तविक पूर्णता का प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि** : जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि वास्तविक पूर्णता की तिथि से शुरू होगी।
23. **नामित उप-ठेकेदार** : सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो संविदा प्रदान करने में प्रवेश नहीं करेगा।

- (a) नामित उप-ठेकेदार उप-ठेके के संबंध में ठेकेदार को उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति देगा, जो ठेकेदार इस संविदा के संबंध में करता है।
- (b) नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई किसी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी भी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।
- (c) नामित उप-ठेकेदार को नियोक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाणपत्र जारी होने से पहले, ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर, नियोक्ता बैंक के प्रमाणपत्र पर भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उस राशि की कटौती कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी संविदा का निर्माण नहीं होगा।

24. **नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति** : नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
25. **व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा** : ठेकेदार, व्यक्तियों, पशुओं या चीजों को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत देयता में अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को हुए किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वे कार्यों के तुरंत निकट हों या अन्यथा; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और इस संविदा के विषय-वस्तु बनाने वाले कार्यों को हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इमारत और अन्य संरचनाओं और इस संविदा के विषय-वस्तु बनाने वाले कार्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उसे उपरोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति से उत्पन्न होने वाली सभी हानि और व्यय के संबंध में तथा किसी भी कानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध तथा ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी उसे हानिरहित रखेगा।
- ठेकेदार, अपने स्वयं के व्यय पर, इस संविदा के अंतर्गत वास्तविक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ठेकेदारों के लिए **समस्त जोखिम पॉलिसी** के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नाम पर संविदा की पूरी राशि के लिए बीमा हेतु एक समस्त जोखिम पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा।
- ठेकेदार, कार्य के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा। वह स्वयं अपने व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिम के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों से एक बीमा पॉलिसी बनाएगा और संविदा के पूर्ण होने तक उसे बनाए रखेगा तथा कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपये होगी, जिसकी कुल सीमा 10 लाख रुपये होगी। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे **कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत हों** या किसी अन्य लागू कानून के तहत, इस संविदा की अवधि के दौरान या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून के तहत और अपने **स्वयं के खर्च** पर संविदा के वास्तविक समापन तक या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।
- यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से काट सकता है। ठेकेदार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं की जा सकती है और साथ ही किसी भी व्यक्ति, पशु या इस संविदा के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वह क्षति किसी भी कारण से हुई हो।

ठेकेदार, कार्य से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, प्रभारों या खर्चों तथा उससे उत्पन्न होने वाली किसी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

ऐसी चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि को काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत ठेकेदार को देय हैं।

इस खंड के अंतर्गत ली गई पॉलिसी के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, ठेकेदार, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित तत्परता से आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता से ऐसी क्षति के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि ठेकेदार को चुकाई जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत पर किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, कार्य पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक का इंजीनियर उचित समझे, लेकिन, यहां निर्धारित किसी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी कमी या कमी के लिए नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस खंड के अंतर्गत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से उनके संबंधित कार्य भागों के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार समान बीमा पॉलिसियाँ भी प्राप्त करवाएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसियाँ प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत न कर दी जाएँ। **यदि** उप-ठेकेदार कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम से निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों को प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा (संविदा के वास्तविक समापन तक), जिसमें नियोक्ता प्रथम (प्रधान) होगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

a) कामगार मुआवज़ा नीति। b) कार नीति c) तृतीय पक्ष देयता नीति

26. **प्रारंभ और समापन की तिथि** : ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "आरंभ की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "समापन की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

27. **पूरा न होने पर निश्चित क्षतिपूर्ति** : यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहां खंड 28 के तहत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में उल्लिखित राशि "निश्चित क्षतिपूर्ति" के रूप में उस अवधि के लिए भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षतिपूर्ति की कटौती कर सकता है।

28. **देरी और समय का विस्तार** : यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिल्डिंग ट्रेड को प्रभावित

करना या (छ) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार बैंक को लिखित सूचना दिए जाने पर यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलंब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बैंक का यह निर्णय कि विलंब अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ है या नहीं, अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

29. **नियोक्ता के अनुदेश का अनुपालन करने में ठेकेदार की विफलता :** यदि ठेकेदार नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता के अनुसार ऐसे आगे के रेखाचित्रों और/या बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो भी उसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

30. **नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति :** यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिनी या परिसमापक, उसे ऐसा करने के लिए अपेक्षित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर नियोक्ता की उचित संतुष्टि दर्शाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में भी असमर्थ होगा।

या यदि ठेकेदार चाहे वह व्यक्ति, प्रथम या निगमित कंपनी हो, तो ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किया जाएगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को उप-पट्टे पर सौंप देगा।

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को प्रभारित या भारग्रस्त नहीं करेगा।

या यदि बैंक का इंजीनियर लिखित रूप से प्रमाणित कर दे कि ठेकेदार,

- (i) संविदा को त्याग दिया है, या
- (ii) कार्य प्रारंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत किसी भी वैध बहाने के बिना बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है या
- (iii) कार्य को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में असफल रहा है तथा ऐसी उचित प्रगति करने में असफल रहा है जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- (iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था या

- (v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद सात दिनों तक ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले संविदा के किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने या निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या असफलता की गई है, जिसमें ठेकेदार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता बताई गई है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोजक, किसी पूर्व अधित्याग के होते हुए भी, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के पश्चात, संविदा का निर्धारण कर सकता है, जिसकी संपूर्णता उसी प्रकार लागू रहेगी मानो संविदा का निर्धारण न किया गया हो, और ऐसा तब भी होगा जब बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। और इसके अतिरिक्त, नियोजक अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा कार्य में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्य को पूरा करने और पूरा करने के लिए अपने सेवकों और कर्मचारियों के माध्यम से या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य पूरा करने के लिए नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें कार्यों को पूरा करने और परिष्करण के लिए नियोजित किया गया है या सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सुविधानुसार बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसे प्राप्त होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री में से कितनी सामग्री नियोक्ता के कब्जे में है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि हुई है और राशि कितनी है। यदि कोई हो, तो ठेकेदार को देय और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. **ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति :** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या संविदा के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 18 के अनुसार किया जाएगा।

32. **प्रमाणपत्र और भुगतान :**

- a. नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के अंतर्गत किश्तों में भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे, जब बैंक के इंजीनियर की राय में, इस संविदा के अनुसार परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य' (या बैंक के

इंजीनियर के विवेकानुसार कम) के रूप में नामित अनुमानित मूल्य तक कार्य निष्पादित किया गया हो, तथापि, परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत' के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि रखी गई कुल राशि परिशिष्ट में 'कुल "प्रतिधारण राशि" के रूप में नामित राशि तक नहीं पहुँच जाती, जिसके बाद किश्तें बाद में निष्पादित और भवन में स्थापित कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। बैंक का इंजीनियर अपने विवेकानुसार अंतरिम प्रमाणपत्र में वह राशि शामिल कर सकता है, जिसे वह कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर पहुँचाई गई सामग्रियों के लिए उचित समझे। और जब कार्य लगभग पूरा हो गया हो और बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में प्रमाणित कर दे कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार, परिशिष्ट में 'वास्तविक समापन के बाद किस्त' के रूप में नामित धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक भाग होगा। और ठेकेदार, बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार, वास्तविक समापन की तिथि से परिशिष्ट में 'दोष दायित्व अवधि' के रूप में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद, जब कार्य अंतिम रूप से पूरा हो जाएगा और सभी दोषों को इसके वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार ठीक कर लिया जाएगा, जो भी बाद में होगा, अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने पर या उसके बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, ठेकेदार को कार्यों या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी, या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या प्रमाणपत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में, और सभी दोषों के मामले में, खंड 2 और 21 के तहत उसकी देयता से मुक्त नहीं करेगा। कार्यों या सामग्रियों में ऐसी अपर्याप्तताएँ जो उचित जाँच से प्रकट नहीं होतीं। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री, जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुसार है। न ही ठेकेदार किसी भी राशि के लिए दावा कर सकेगा जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, और जिसे बाद में देय नहीं पाया गया हो और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- b. यदि कार्य या उसका कोई भाग उसके संतोषप्रद रूप से नहीं किया जा रहा है तो बैंक के इंजीनियर को किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने का अधिकार होगा।
- c. बैंक का इंजीनियर उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाण-पत्र में कोई सुधार कर सकता है।
- d. यदि ठेकेदार कार्य का बीमा कराने में विफल रहता है तथा वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक उसे बीमाकृत नहीं रखता है तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- e. बैंक के इंजीनियर प्रमाणपत्र पर भुगतान, परिशिष्ट में 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के रूप में नामित अवधि के भीतर किया जाएगा, जब ऐसे प्रमाणपत्र नियोक्ता को सौंप दिए गए हों।

कार्य के लिए केवल निम्नलिखित भुगतान शर्तें ही लागू हैं ।

ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार को देय कुल राशि, वैधानिक कटौतियों के बाद, संपूर्ण कार्य पूरा होने पर ' **प्रथम एवं अंतिम बिल** ' के रूप में **भुगतान की जाएगी** । सभी भुगतानों पर, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, 5% रिटेंशन मनी और टीडीएस की वसूली की जाएगी।

33. **विलंबित भुगतान** : यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई राशि परिशिष्ट में उल्लिखित 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली तिथि से भुगतान होने तक परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के अनुसार ब्याज लगेगा, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा सभी आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाएं।
34. **बैंक द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले**: इसके खंड 2, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 (क, ख, ग, घ, ङ, च) के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले (जिन मामलों को इसमें अपेक्षित मामले कहा गया है) के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होगा तथा

इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और अपील रहित होगा। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, इसके खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित), जैसे कि वह बैंक के इंजीनियर का निर्णय हो।

35. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा** : संविदा या कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और संविदा के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) को बैंक को भेजा जाएगा और उसके द्वारा निपटाया जाएगा, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और पूर्ववर्ती खंडों के अनुसार अपील रहित होगा। लेकिन यदि कोई भी, ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट है तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यक हो कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं और जिनके बारे में ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ दर्ज करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय सुनाएगा।

ऐसे किसी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्षकार और पक्षकार के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और निर्देश देंगे कि उसे किसके द्वारा, किसको और किस तरीके से वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय दिए जाने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

36. **अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**: नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह नियोक्ता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच कराए तथा ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच कराए,

जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए यह वैध होगा कि वह इस कार्य के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन ठेकेदारों द्वारा अन्यत्र किए जा रहे किसी अन्य कार्य के लिए ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से राशि वसूल करे।

37. **नियोक्ता को कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार है:** यदि किसी कारणवश, नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।
38. **कार्यों का परित्याग:** यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्यों या उसके किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रखता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के कारण मुआवजे के भुगतान या अन्यथा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता था।
39. **अधिशेष सामग्री की वापसी:** इस संविदा के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल संविदा के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी धनराशि, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुए या सामान्य क्रम में हुए होते।
40. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेंगे। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।
ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो।
गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

41. यदि ठेकेदार व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार:

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

(i) ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

(ii) ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित सभी मजदूरों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने अपने द्वारा नियुक्त किए गए सभी प्रकार के मजदूरों को, उन्हें दिए गए कार्य/कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं, सभी देय राशि का भुगतान कर दिया है और उसने ठेका मजदूरों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है। इसके अलावा, वह बैंक के प्रतिनिधि को सत्यापन और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता प्रमाणित करें।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1. क) ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

(ख) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आर्थिक राहत देने की जिम्मेदारी होगी, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाए तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली आर्थिक राहत।

घ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ई) ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

जगह :

नाम और पता:

विशेष शर्तें

1. निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि विचाराधीन कार्य बैंक कार्यालय परिसर में सामान्य कार्य समय में, पूर्व योजना बनाकर और बैंक के इंजीनियरों के परामर्श से कार्य के उचित क्रम का पालन करते हुए, कर्मचारियों को कम से कम परेशानी पहुँचाते हुए किया जाएगा। कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा और किसी भी परिस्थिति में देर से कार्य करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
2. कार्य के लिए सम्पूर्ण सामग्री केवल सीढ़ियों के माध्यम से ही कार्य क्षेत्र में लाई जाएगी।
3. सभी सामग्रियाँ आईएस मानकों के अनुरूप प्रथम/प्रीमियम गुणवत्ता वाली होंगी।
4. निविदाकर्ता केवल उन्हीं अनुमोदित सामग्रियों का उपयोग करेगा जैसा कि मात्रा अनुसूची/सामग्री की अनुमोदित सूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। **बैंक को सूची में दिए गए अनुमोदित ब्रांड नामों में से किसी भी ब्रांड की सामग्री चुनने की स्वतंत्रता होगी।** किसी भी कार्य में प्रयुक्त सामग्री के नमूनों को थोक खरीद से पहले बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि से अनुमोदित करवाना होगा।
5. जहां भी ठेकेदार समतुल्य ब्रांड (अर्थात निर्दिष्ट के अलावा) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसा बैंक के इंजीनियर की पूर्व स्वीकृति के बाद किया जाएगा, इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय और समय पूरी तरह से ठेकेदार के खाते में होगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. साइट पर लाई गई सामग्री की गुणवत्ता के निरीक्षण और मात्रा के मापन के लिए बैंक के इंजीनियर को तुरंत सूचित किया जाएगा।
7. ठेकेदार को कार्य शुरू करने से पहले बैंक को एक उचित योजनाबद्ध एवं तैयार कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, ताकि बैंक अन्य एजेंसियों को सुचारू कार्य, प्रगति एवं समन्वय के लिए पहले से सूचित कर सके तथा कार्य कार्यक्रम में समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
8. निविदा में उल्लिखित आठ सप्ताह की कार्य समाप्ति अवधि में मानसून अवधि और संविदा अवधि में आने वाले रविवार/शनिवार सहित अवकाश शामिल हैं। ठेकेदारों को छुट्टियों के दिनों में अपने जोखिम और लागत पर काम करने की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और इससे जुड़े किसी भी जोखिम के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
9. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबा/धूल या किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को आवश्यकतानुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार बार-बार साफ किया जाएगा और पूरे परिसर को, जिसमें सीढ़ियाँ, उपरोक्त नवीनीकरण कार्य में मजदूरों द्वारा प्रभावित/प्रयुक्त मार्ग शामिल हैं, बैंक के इंजीनियरों की संतुष्टि के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रतिदिन साफ/स्वच्छ किया जाएगा। संपूर्ण मलबा/अपशिष्ट सामग्री बैंक परिसर से बाहर ले जाई जाएगी और उसे बैंक परिसर में या उसके आसपास कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए। यदि स्थानीय निगम द्वारा कोई मलबा देखा जाता है और जुर्माना लगाया जाता है, तो इसके लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
10. कार्य समय के बाद किसी भी मजदूर को परिसर के अन्दर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. जहां भी कार्यरत श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक है, वहां ठेकेदार के पास श्रम आयुक्त से वैध श्रम लाइसेंस होना चाहिए।
12. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल होगा। उद्धृत दर में सभी कर और शुल्क शामिल होंगे। हालाँकि, कार्य का बिल/इनवॉइस जमा करते समय ठेकेदार को कार्य मूल्य में शामिल जीएसटी के विभिन्न घटकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
13. ठेकेदार के पास उक्त कार्य के लिए नियुक्त किए जा रहे अपने कर्मचारियों के पते और तस्वीरें होनी चाहिए। कर्मचारियों को भवन के अंदर प्रवेश केवल बैंक द्वारा जारी फोटो पास दिखाने पर ही दिया जाएगा और उन्हें बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा।

14. दरें उद्धृत करने से पहले, ठेकेदार को साइट का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य की प्रकृति और दायरे से परिचित होना चाहिए।
15. बैंक की किसी भी संपत्ति को हुई क्षति की भरपाई ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।
16. ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के विनिर्देश विवरण और निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होगा।
17. ठेकेदार को कार्यस्थल पर अपनी सामग्री के भंडारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
18. उद्धृत दर में बैंक इंजीनियरों द्वारा अपेक्षित एवं निर्देशित सामग्री के सभी आवश्यक परीक्षण शामिल होने चाहिए।
19. ठेकेदार को कार्य के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए एक योग्य साइट इंजीनियर की नियुक्ति करनी चाहिए ।
20. सफल निविदाकर्ता अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा तथा अपने कार्यस्थल सहित कार्यस्थल में हर समय अग्नि निरोधक उपाय सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

जगह :

नाम और पता:

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार उपकरणों, जिनमें पर्याप्त मात्रा में रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई शामिल है, को आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर रखा जाएगा।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो जमीन/फर्श से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते।
4. किसी भी पोर्टेबल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए (स्पष्ट) और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय, सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. भवन के फर्श या कार्य मंच में प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
6. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक भरा नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
7. सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
8. (i) सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सतह पर लेड पेंट को सूखाकर रगड़ा जाता है।
9. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा काम बंद होने के दौरान काम करने वाले चित्रकारों को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
10. कार्य में प्रयुक्त उत्पादक मशीनें और उपकरण, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित, उत्तम स्थिति में होंगे।
11. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाली तथा दोष रहित होंगी।

अग्नि सुरक्षा कोड

1. कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. प्रयुक्त विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए तथा उनका उचित मूल्यांकन होना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण जैसे ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से पृथ्वी से जोड़ा जाएगा।
5. कार्यस्थल पर आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
6. अनुशंसित अग्निशामक यंत्र कार्यस्थल पर रखे जाएंगे।
7. प्रयुक्त पेंट ड्रमों को उचित ढंग से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहित किया जाएगा।
8. कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर मास्क, कान प्लग आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
9. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और कामगारों द्वारा जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।
10. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
11. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
12. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य विद्युत लाइन से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
13. कार्य से उत्पन्न लकड़ी के बुरादे और चूरा को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
14. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
15. कार्यालय समय के बाद काम करने वाले श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम और पता:

इसमें पहले उल्लिखित परिशिष्ट

1	दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)	आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 12 महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	वर्चुअल समापन की तिथि से 1 माह।
3	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
4	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने के 10 ^{वें} दिन।
5	पूरा होने की तारीख	कार्य आदेश जारी होने के दसवें दिन से आठ सप्ताह
6	परिसमाप्त क्षति की दर (एलडी)	विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए संविदा मूल्य का 0.25%, जो कुल स्वीकृत संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा।
7	अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य	केवल प्रथम एवं अंतिम बिल।
8	अवधारण प्रतिशत (आरएमडी)	5%
9	आरएमडी का विमोचन	एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि पूरी होने पर जारी किया जाएगा।
10	अंतरिम प्रमाणपत्र की वैधता अवधि	लागू नहीं
11	अंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करने की अवधि	30 दिन (सभी पहलुओं में सही बिल प्रस्तुत करने के अधीन)
12	विलंबित भुगतान पर ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करते हूँ।

तारीख :

जगह :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

नाम और पता:

अनुमोदित सामग्रियों की सूची/निर्माताओं की सूची।

1.	सीमेंट	एसीसी, मालाबार, कोरामंडल, रामको, शंकर, अम्बुजा या अनुमोदित समकक्ष।
2.	सफेद सीमेंट	बिरला व्हाइट, जेके व्हाइट या अनुमोदित समकक्ष
3.	जलरोधी रसायन	मेसर्स फ़ोसिक, डॉ. फिक्सिट या अनुमोदित समकक्ष
4.	स्टील सुदृढीकरण	वैसाख, टाटा या अनुमोदित समकक्ष
5.	सीपीवीसी/पीवीसी पाइप और फिटिंग	सुप्रीम, फिनोलेक्स, आशीर्वाद, प्रिंस या अनुमोदित समकक्ष
6.	विट्रिफाइड टाइल्स/ सिरेमिक टाइल्स	जॉनसन, कजारिया, आरएके, सोमानी, निटको, सिम्पोलो बेल या अनुमोदित समकक्ष
7.	टाइल चिपकने वाला	MYK लैटिक्रीट 315, बाल एंडुरा सिल्वर स्टार प्लस या अनुमोदित समकक्ष
8.	एमआर बोर्ड, पीवीसी लैमिनेटेड बोर्ड	मेसर्स जिप्रोक
9.	एल्यूमीनियम अनुभाग	जिंदल, हिंडाल्को या अनुमोदित समकक्ष
10.	एफआरपी दरवाजे	नवरंग, क्यूब या अनुमोदित समकक्ष
11.	सेनिटरी फिटिंग	पैरीवेयर, हिंदवेयर, सीईआरए या अनुमोदित समकक्ष
12.	सीपी फिटिंग	पैरीवेयर, हिंदवेयर, जैकार या अनुमोदित समकक्ष
13.	काँच	सेंट गोबेन, मोदी या स्वीकृत समकक्ष
14.	डब्ल्यूपीसी बोर्ड	थॉमसन या अनुमोदित समकक्ष
15.	पेंट	एशियन, आईसीआई ड्यूल्क्स, एमआरएफ, बर्जर, शालीमार, नेरोलैक,
16.	पुट्टी	बिरला व्हाइट, जेके, शालीमार पेंट्स लिमिटेड द्वारा गोल्डसाइज़ पुट्टी या अनुमोदित समकक्ष।

- a) ठेकेदार को कार्य में उपयोग करने से पहले बैंक की स्वीकृति के लिए 2-3 प्रकार के नमूने प्रस्तुत करने होंगे।
- (b) बैंक द्वारा अनुमोदित सामग्री का ही उपयोग कार्य में किया जाएगा, जिसमें मूल दर मदों के लिए पीसी दरों का अनुमोदन भी शामिल है।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित:

स्थान:

मात्राओं की बिना मूल्य वाली अनुसूची

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इकाई
1	ड्राइंग के अनुसार फर्श, बीम आदि के लिए नई नींव बनाने के लिए पूर्ववर्ती शौचालय क्षेत्र में पुराने सीमेंट कंक्रीट फर्श को 350 मिमी की औसत गहराई तक मिट्टी के साथ हटाना, जिसमें आवश्यक रूपरेखा प्राप्त करने के लिए किनारों और तल की ड्रेसिंग, नींव के काम के बाद साफ विघटित समुच्चयों की बैकफिलिंग, बैंक परिसर से अतिरिक्त मिट्टी/मलबा और अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाना आदि शामिल है, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए गए।	11.00	वीर्य
2	मौजूदा 115 मिमी मोटी ईट की दीवार को सावधानीपूर्वक ध्वस्त करना, जिसमें फिनिशिंग, एमएस खिड़कियों (2 की संख्या) को ध्वस्त करना और हटाना, साइट की सफाई, ध्वस्त वस्तुओं को हटाना, बैंक परिसर से मलबा हटाना आदि सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए गए।	11.00	वर्गमीटर
3	समतलीकरण, पूर्णतः सुदृढीकरण आदि द्वारा आधार भूमि सतह की तैयारी, नींव के नीचे समतलीकरण के लिए 20 मिमी/40 मिमी कठोर पत्थर समुच्चयों का उपयोग करते हुए 1:3:6 अनुपात में सादा सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध कराना और बिछाना , उचित स्तर पर बिछाना और परिष्करण, जिसमें मिश्रण, संचनन, उपचार, शटरिंग, यदि कोई हो, आदि शामिल हैं, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण किए जाएं।	4.00	घन मीटर
4	1:1.5:3 में सादे/प्रबलित सीमेंट कंक्रीट प्रदान करना और बिछाना , उचित स्तर, प्रोफाइल, आयाम आदि पर बिछाना, जिसमें मशीन मिक्सिंग, आवश्यक शटरिंग, निर्माता विनिर्देशों के अनुसार कंक्रीट में अनुमोदित मेक के उपयुक्त जलरोधी रसायनों को मिलाना, मशीन कॉम्पैक्शन, सतहों की स्वयं फिनिशिंग, कार्य को ठीक करना आदि शामिल हैं, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे। (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट को अलग से मापा जाएगा और नीचे मद 5 के तहत भुगतान किया जाएगा।	3.00	घन मीटर
5	थर्मो-मैकेनिकल रूप से उपचारित बार (Fe - 500) उपलब्ध कराना, सीधा करना, काटना, मोड़ना और सही स्थान पर रखना , जिसमें तारों को बांधने की लागत, अपव्यय, सभी सामग्रियों का परिवहन, श्रम शुल्क आदि शामिल हैं। बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। अधिकृत लैप्स की माप ली जाएगी और उनका भुगतान किया जाएगा।	250.00	केजी
6	115 मिमी मोटी ईट की चिनाई प्रदान करना और निर्माण करना , जहां भी आवश्यक हो, खुले स्थानों को बंद करना, सीएम 1:4 में स्थानीय रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ईंटों का उपयोग करना, सही साहुल, रेखा और स्तर में, आसन्न दीवार / स्तंभ / फर्श आदि के लिए उचित कुंजी प्रदान करना, प्रत्येक 6वें कोर्स में कंक्रीट आवरण में 2 नग, 8 मिमी व्यास के सुदृढीकरण बार रखना, जोड़ों को रेक करना, आवश्यक मचान, इलाज, सफाई, बैंक के परिसर के बाहर यदि कोई मलबा हो तो उसे हटाना आदि सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाते हैं।	46.00	वर्गमीटर
7	खुरदुरे फिनिश के साथ प्लास्टरिंग: चिनाई वाली दीवारों/आरसीसी बीम आदि की सतह को रेकिंग, पानी देकर और वायर ब्रश व झाड़ू से अच्छी तरह साफ करके तैयार करना, और सीएम 1:4 (जिसमें 12 मिमी मोटाई का पहला कोट और 9 से 12 मिमी मोटाई का दूसरा		

	कोट शामिल है) का उपयोग करके औसतन 20 से 25 मिमी मोटा सीमेंट प्लास्टर लगाना और लगाना, अनुमोदित गुणवत्ता वाले ओपीसी और एम. रेत का उपयोग करना, प्लंब, लेवल और लाइन के अनुसार सही। दीवार के प्लास्टर की सतह समतल होनी चाहिए और टाइल के डेडो को धारण करने के लिए उसमें धंसे हुए जोड़ होने चाहिए। दर में तैयार कार्य के लिए आवश्यक कटिंग, क्योरिंग, श्रम, सभी लीड और लिफ्ट आदि शामिल होंगे, और ये सभी बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार होंगे।	75.00	वर्गमीटर
8	चिकनी फिनिश के साथ प्लास्टरिंग: मौजूदा और नवनिर्मित चिनाई वाली दीवारों, बीम सतहों आदि की खुली सतह को रेकिंग, पानी देकर और वायर ब्रश, झाड़ू से अच्छी तरह साफ़ करके तैयार करना, दीवारों पर औसतन 20 मिमी मोटा सीमेंट प्लास्टर लगाना और लगाना, जिसमें CM 1:4 के अनुसार पैच में प्लास्टर करना, स्वीकृत गुणवत्ता वाले OPC और रेत का उपयोग करना, सही प्लंब, समतल और आसन्न सतहों के साथ रेखा मिलान आदि शामिल हैं। दीवार के प्लास्टर की सतह समतल होनी चाहिए और उसे सुचारू रूप से फिनिश किया जाना चाहिए। इस दर में क्योरिंग, श्रम, तैयार कार्य के लिए आवश्यक सभी लीड और लिफ्ट आदि, मलबा हटाना आदि शामिल होंगे, जो बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे।	25.00	वर्गमीटर
9	गुप्त पाइपलाइनों की आपूर्ति और बिछाना: - एसडीआर 11 के सी-पीवीसी थ्रेडेड पाइप का उपयोग करके 20 मिमी व्यास की गुप्त जल लाइनों की आपूर्ति, कटाई, फिक्सिंग, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें कोहनी, टीज़, कपलिंग आदि जैसी सभी आवश्यक विशेषताएँ शामिल हैं। सभी गुप्त लाइनों को जीआई क्लैप का उपयोग करके दीवार पर 450 मिमी की अधिकतम दूरी पर ठीक से लगाया जाएगा। दर में पाइपलाइन लाइनों को प्राप्त करने के लिए दीवारों पर आवश्यक कटाई और चेज़िंग करना, पाइपलाइन बिछाना, वाटरप्रूफिंग रसायनों के साथ मिश्रित सीमेंट मोर्टार का उपयोग करके उचित पैकिंग, रिसाव के लिए दबाव परीक्षण आदि शामिल होंगे। भुगतान के लिए वास्तविक रैखिक माप को ध्यान में रखा जाएगा।	25.00	आरएम टीआर
10	के 50 मिमी व्यास (न्यूनतम परीक्षण/कार्य दबाव 6 किग्रा/वर्ग सेमी) के पीवीसी पाइप उपलब्ध कराना और लगाना, सभी फिटिंग सहित, छिपे हुए/बाहरी कार्य के लिए पाइपों को 1 मीटर की दूरी पर क्लैप से लगाना, जिसमें पाइपों को छिपाने के लिए दीवार/फर्श में छेद करना, डक्ट लाइन/मैनहोल से जोड़ना, कंक्रीट ब्लॉकों से पाइप लगाना आदि शामिल है। दर में पाइपों को काटना, फिटिंग के साथ जोड़ना और डक्ट में मौजूदा पीवीसी पाइपों को अनुमोदित गुणवत्ता के सॉल्वेंट सीमेंट से जोड़ना, और आवश्यक प्लास्टरिंग द्वारा नुकसान की भरपाई करना, जिसमें जोड़ों/पाइपलाइनों आदि का रिसाव के लिए परीक्षण आदि शामिल है, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे।	6.00	आरएम टीआर
11	उपरोक्त मद 10 के समान, लेकिन 75 मिमी व्यास वाले पीवीसी पाइपों के लिए	15.00	आरएम टीआर
12	उपरोक्त मद 10 के समान, लेकिन 110 मिमी व्यास वाले पीवीसी पाइपों के लिए	12.00	आरएम टीआर
13	नहानी जाल:- अपशिष्ट जल पाइपलाइन में न्यूनतम 50 मिमी वाटर सील के साथ 100x75 मिमी व्यास के आउटलेट के साथ स्वीकृत गुणवत्ता वाले पीवीसी नहानी ट्रेप/मल्टी ट्रेप	8.00	नग

	का निर्माण, उपलब्ध कराना, लगाना और जोड़ना। दर में न्यूनतम 250 मिमी चौड़ाई की खाइयाँ बनाना और जलरोधी रसायन के साथ मिश्रित 1:1.5:3 कंक्रीट का उपयोग करके नाबदान को भरना, 125 मिमी व्यास की एसएस ग्रेटिंग उपलब्ध कराना और लगाना आदि शामिल होगा, ये सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार किए जाएँगे।		
14	तहखाने में अच्छी गुणवत्ता वाली एम. रेत की आपूर्ति और परतों में भरना, अनुमोदित तरीकों से उसे दबाना, ऊपरी सतह को समतल करना, परिवहन, उतराई आदि सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए गए।	1.50	वीर्य
15	दरवाजों/खिड़कियों आदि के लिए पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइल सिल/जम्ब/सॉफिट: दरवाजों/खिड़कियों, वेंटिलेटर आदि के सिल/सॉफिट/जम्ब के लिए 15 मिमी मोटी पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइलें (100 से 200 मिमी चौड़ी) एक ही टुकड़े में, सही लेवल, लाइन आदि में, दीवार की पूरी चौड़ाई में 20 मिमी मोटे बेस सीमेंट मोर्टार 1:4 के साथ लगाना और लगाना। दरों में सतह की तैयारी, टाइल के खुले किनारों की पूरी गोलाकार ढलाई और समान टाइल फिनिश की पॉलिशिंग आदि शामिल होंगे, जो बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरी की जाएगी। विट्रिफाइड टाइल्स की मूल दर ₹260/- प्रति वर्ग फुट है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।	5.00	वर्गमीटर
16	विट्रिफाइड टाइल दीवार क्लैडिंग: - मद संख्या: 07 के अनुसार प्लास्टर और बॉर्डर वाली सतह पर दीवार के लिए 1200 मिमी x 600 मिमी (या स्वीकृत निकटतम उपलब्ध आकार) और स्वीकृत शेड और मेक की पहली गुणवत्ता/प्रीमियम गुणवत्ता वाली विट्रिफाइड टाइलें प्रदान करना और लगाना, निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित मेक के 6 मिमी औसत मोटे पॉलीमर संशोधित त्वरित सेटिंग चिपकने वाले के साथ, टाइल के पूरे पीछे के क्षेत्र में पूरी तरह से फैला हुआ (यदि जोड़ खोखलापन के लिए अतिसंवेदनशील पाया जाता है तो काम को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है) और इसमें 3 मिमी स्पेसर का उपयोग करके क्लैडिंग जोड़ों के साथ आवश्यक खांचे प्रदान करना और उपयुक्त शेड के इपॉक्सी ग्राउट के साथ समाप्त करना, इलाज आदि शामिल है, सभी बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण। दर में सभी कटिंग, उजागर दीवार के किनारों पर पीवीसी एज बीडिंग प्रदान करना और लगाना,	75.00	वर्गमीटर
17	विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग: नई फ्लोरिंग के लिए सीमेंट स्लरी से पूरी तरह साफ़ और प्राइमिंग करके स्क्रीड कंक्रीट परत/फ्लोर स्लैब की सतह तैयार करना, स्वीकृत पैटर्न, लाइन, लेवल आदि में फ्लोरिंग प्रदान करना और बिछाना, 1200 मिमी x 600 मिमी या स्वीकृत आकार की प्रथम गुणवत्ता/प्रीमियम गुणवत्ता वाली विट्रिफाइड टाइलों का उपयोग करना, स्वीकृत ब्रांड और शेड के सीमेंट मोर्टार के बिस्तर पर स्वीकृत ब्रांड पोर्टलैंड सीमेंट और स्वीकृत गुणवत्ता वाले एम-रेत को 1:4 के अनुपात में हाथ से मिलाकर तैयार किया गया, बिछाना, फैलाना और 20 मिमी की औसत समेकित मोटाई प्राप्त करने के लिए समेकित करना। टाइल्स को ग्रे सीमेंट स्लरी की एक तैरती परत के साथ सेट किया जाएगा और 3 मिमी स्पेसर का उपयोग करके, जोड़ों को टाइल्स की छाया से मेल खाने के लिए अनुमोदित ब्रांड और गुणवत्ता के एपॉक्सी ग्राउट्स से पॉइंट किया जाएगा। मूल मूल्य समायोजन के लिए किसी ढलाई/परिवहन पर विचार नहीं किया जाएगा।	27.00	वर्गमीटर

	केवल कार्य के खुले हुए तैयार क्षेत्र को ही मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा।		
18	एमआर बोर्ड झूठी छत		
	मेसर्स जिप्रोक इंडिया लिमिटेड के विनिर्देशों के अनुसार निलंबित, नमी प्रतिरोधी बोर्ड प्लेन फाल्स सीलिंग प्रणाली प्रदान करना और लगाना, जो जिप्सरा फ्रेमवर्क खंडों पर दढ़ता से तय की गई हो, सभी संलग्न स्केच के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:		
	i) दीवार के साथ-साथ 20 मिमी x 28 मिमी x 30 मिमी के परिधि चैनल, नायलॉन स्लीव और स्कू की मदद से 600 मिमी सी/सी पर तय किए गए। ii) मध्यवर्ती चैनल 15 मिमी x 45 मिमी x 15 मिमी, 1200 मिमी सी/सी से अधिक की दूरी पर नहीं।		
	iii) 25 मिमी x 10 मिमी x 0.55 मिमी मोटाई का सीलिंग कोण जीआई क्लीट और स्टील एक्सपेंशन एंकर फास्टर के साथ सॉफिट पर लगाया गया है। iv) 80 मिमी x 26 मिमी x 51 x 0.5 मिमी सीलिंग चैनल @450 मिमी/475 मिमी सी/सी पर जीआई इंटरमीडिएट चैनल के लंबवत दिशा में 2.64 मिमी व्यास x 230 मिमी लंबे जीआई तार से बने कनेक्टिंग क्लिप के साथ प्रत्येक जंक्शन पर लगाया जाएगा। v) 12.5 मिमी मोटा सादा एमआर बोर्ड 230 मिमी सी/सी पर 25 मिमी ड्राईवॉल स्कू के साथ सीलिंग सेक्शन पर लगाया गया है। अंत में, बोर्डों को जोड़ा और फिनिश किया जाता है ताकि वे एक समान दिखें और बोर्ड को समतल किया जाता है		
	vi) झूठी छत की सतहों को स्वीकृत ब्रांड के प्रथम गुणवत्ता वाले 100% एक्रिलिक इंटीरियर इमल्शन पेंट के दो या अधिक कोटों से रंगना तथा पर्याप्त सतह तैयारी, पुष्टी कार्य आदि के बाद प्राइमर के एक कोट के ऊपर छायांकन करना।		
	दर में आवश्यक अतिरिक्त ढाँचे, अपव्यय, सभी फिनिशिंग आदि के साथ लाइट फिटिंग लगाने के लिए कटआउट/छिद्र शामिल होंगे। 0.4 वर्ग मीटर से कम के छिद्रों के लिए क्षेत्रफल माप में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे छिद्र बनाने के लिए कोई अतिरिक्त माप नहीं लिया जाएगा। कुल खुला हुआ तैयार क्षेत्रफल मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा।	22.00	वर्गमीटर
19	निलंबित ग्रिड झूठी छत प्रदान करना और लगाना , मुख्य धावकों के साथ पूर्व लेपित वर्गों का उपयोग करके 1200 मिमी सी/सी (अधिकतम) पर अनुमोदित ऊर्ध्वाधर हैंगर द्वारा संरचनात्मक सॉफिट पर सुरक्षित रूप से फिक्स करना, और 2 फीट सी/सी पर मुख्य धावकों के बीच लंबे क्रॉस 'टी' को इंटरलॉक करना ताकि 2 फीट x 2 फीट का ग्रिड बन सके, सभी निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूरा किया गया।	6.00	वर्गमीटर
20	शौचालय क्षेत्र के लिए लगभग 2100 मिमी ऊँचाई वाले एल्युमीनियम फ्रेम वाले विभाजन निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएँगे और बनाए जाएँगे: ढाँचा न्यूनतम 63.50 मिमी x 38.10 मिमी x 1.50 मिमी आकार के पाउडर-कोटेड एल्युमीनियम खंडों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में अधिकतम 900 मिमी की दूरी पर बनाया जाएगा। पैनल स्वीकृत ब्रांड और शेड की 4 मिमी मोटी एसीपी शीट से बनाए जाएँगे, जिन्हें आवश्यक एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न, ईपीडीएम बीडिंग आदि का उपयोग करके फ्रेम में लगाया जाएगा। दर में बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए	8.00	वर्गमीटर

	आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और लगाने आदि का खर्च शामिल होगा।		
21	चिनाई वाली दीवार/विभाजन के ऊपर निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार एल्युमीनियम ग्रिल विभाजन उपलब्ध कराना और बनाना। बाहरी फ्रेम और मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर फ्रेम, जहाँ भी आवश्यक हो, स्वीकृत निर्माण के 63.50 x 38.10 x 1.50 मिमी पाउडर-कोटेड ट्यूबलर एल्युमीनियम सेक्शन से बनाए जाएँगे और उपयुक्त एंकर फास्टरों आदि के साथ दीवारों/छत पर लगाए जाएँगे। ग्रिल पैनल हीरे के आकार का 2" x 2" आकार का होगा, जो एल्युमीनियम फ्रेमवर्क पर पाउडर-कोटेड एल्युमीनियम बार्स से बना होगा और आवश्यक एल्युमीनियम क्लीट्स, गैस्केट आदि के साथ बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरा होगा।	2.00	वर्गमीटर
22	एल्युमीनियम स्थिर खिड़की: स्वीकृत मेक की पाउडर-कोटेड एल्युमीनियम स्थिर खिड़की को फ्रेम के साथ आपूर्ति और स्थापित करना। पाउडर-कोटेड फ्रेम उपयुक्त आकार के होने चाहिए और पैनल 5 मिमी मोटे पिनहेड ग्लास से सुसज्जित होने चाहिए, जिन्हें EPDM गैस्केट आदि के साथ फ्रेम में फिट किया जाना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन को लगाने के लिए एक छेद होना चाहिए, जिसमें मिलान आकार के खंड वाले अतिरिक्त क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर फ्रेम दिए जाएँ। फ्रेम और सैश के सभी कोनों और जोड़ों को ठीक से जोड़ा जाना चाहिए। पूरी खिड़की को पूर्व-तैयार छिद्रों में, उच्च गुणवत्ता वाले फास्टरों का उपयोग करके बाहरी फ्रेम में ड्रिलिंग और फिक्सिंग करके स्थापित किया जाना चाहिए और रिसाव-रोधी स्थापना और पूर्णता आदि के लिए दीवार और खिड़की के फ्रेम के बीच के अंतर को भरने के लिए सिलिकॉन सीलेंट लगाया जाना चाहिए। सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे होने चाहिए। खिड़कियों का कुल आकार लगभग 1000 मिमी x 600 मिमी होना चाहिए।	2.00	नग
23	एल्युमीनियम दरवाजे: - लगभग पैनल वाले एल्युमीनियम दरवाजा शटर प्रदान करना, बनाना और लगाना। कुल आकार 750 x 2050 मिमी स्वीकृत मेक और शेड के पाउडर-कोटेड एल्युमीनियम खंडों का उपयोग करके डब्ल्यूसी क्षेत्र के लिए एल्युमीनियम विभाजन में प्रदान किए गए दरवाजे के उद्घाटन पर तय किया गया है, और नीचे के दो पैनल 4 मिमी मोटी एसीपी शीट के साथ हैं, और शीर्ष 1-फुट चौड़ा पैनल 4 मिमी मोटी पाले सेओढ़ लिया ग्लास आदि के साथ होगा। दरवाजा शटर फ्रेम के लिए खंड शैलियों, मध्य और शीर्ष रेल के लिए 40 x 38.10 x 1.20 मिमी के हैं, और शटर के निचले रेल का आकार 100 x 38.1 x 1.20 मिमी आदि है। सभी खंड स्वीकृत मेक के हैं और अनुमोदित रंग / शेड के साथ पाउडर कोटेड हैं जो न्यूनतम 50 माइक्रोन आदि की मोटाई के हैं। दर में सर्वोत्तम	3.00	नग

	गुणवत्ता वाले नियोपाइन / ईपीडीएम रबर गैसकेट, जी क्लिप, हैंडल की फिक्सिंग, एसएस कब्जे, टॉवर बोल्ट आदि का उपयोग शामिल होगा		
24	फाइबर ग्लास प्रबलित प्लास्टिक के दरवाजे उपलब्ध कराना और लगाना निम्नलिखित के साथ। दरवाजे के फ्रेम तीन पैरों वाले होंगे, जिनका क्रॉस-सेक्शन न्यूनतम 90 मिमी x 45 मिमी होगा, जिसमें 30 मिमी मोटाई का शटर लगाने के लिए 32 मिमी x 15 मिमी आकार का एक सिंगल रिबेट होगा। शटर 30 मिमी मोटे होंगे और IS 14856 के अनुसार विनिर्देशों के अनुरूप निर्मित होंगे, जिनमें बैंक द्वारा अनुमोदित सजावटी डिज़ाइन का काम होगा और मैट फ़िनिश होगी। दरवाजों पर SS मैट फ़िनिश की आवश्यक फिटिंग, 3 कब्जे, SS हैंडल, टावर बोल्ट आदि सभी बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे होने चाहिए। दरवाजे का कुल आकार लगभग 750 मिमी x 2050 मिमी होगा।	2.00	नग
25	संलग्न स्केच के अनुसार और निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ लगभग 1200 मिमी x 550 मिमी के समग्र योजना आकार के वॉश बेसिन काउंटर प्रदान करना और बनाना। कैबिनेट के लिए ढांचा 25 X 25 मिमी आकार के जीआई ट्यूबलर सेक्शन का उपयोग करके बनाया जाएगा, जो 18 मिमी मोटी डब्ल्यूपीसी पैनल (मल्टीवर्ड) से ढका होगा, जिसमें डुको पेंट किया गया होगा, जिसमें प्राइमिंग कोट, पुट्टी आदि लगाना शामिल है। काउंटरटॉप को स्वीकृत मेक और शेड की 15 मिमी मोटी पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइलों के साथ बनाया जाएगा (मूल दर जीएसटी को छोड़कर 260 रुपये प्रति वर्ग फीट मानी जाएगी) जिसमें आवश्यक एज मोल्डिंग आदि शामिल हैं। काउंटरटॉप वॉश बेसिन स्वीकृत मेक और आकार का होगा और इसमें पीवीसी वेस्ट कनेक्शन, सीपी वेस्ट कपलिंग आदि जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे	1.00	नहीं
26	वॉश बेसिन: - 550x400 मिमी आकार का दीवार पर लगाने वाला वॉश बेसिन सेट, जिसमें स्वीकृत मॉडल का सफ़ेद रंग का आधा पेडस्टल, सीपी वेस्ट कपलिंग, 32 मिमी व्यास का लचीला वेस्ट पाइप, 15 मिमी व्यास का पीवीसी कनेक्शन आदि शामिल हैं, उपलब्ध कराना और लगाना। वॉश बेसिन को स्वीकृत गुणवत्ता वाले फिशर बोल्ट/हेवी ड्यूटी एल्युमीनियम क्लैप, इनलेट/आउटलेट कनेक्शन आदि का उपयोग करके दीवार पर लगाया/लगाया जाएगा। उद्धृत दर में वॉश बेसिन/पेडस्टल और आस-पास की सतह के बीच के गैप को स्वीकृत गुणवत्ता वाले पॉलीसल्फाइड सीलेंट आदि से सील करना शामिल होगा, जो बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा। पेडस्टल सहित वॉश बेसिन की मूल दर ₹3500/- है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।	3.00	नग
27	बैंक इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, सफ़ेद, फर्श पर लगे EWC को सीट कवर और आवश्यक P/S ट्रेप के साथ प्रदान करना और लगाना और उसे स्वीकृत गुणवत्ता के उपयुक्त व्यास के आवश्यक PVC पाइप के साथ वर्टिकल स्टैक से जोड़ना। P/S ट्रेप को वाटरप्रूफ सीमेंट कंक्रीट में लगाया जाएगा और जोड़ों को जलरोधी बनाया जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। इस दर में 15 MM PVC कनेक्शन के साथ 10 लीटर क्षमता वाला PVC डुअल फ्लश टैंक, 32 MM व्यास वाला PVC फ्लश पाइप और अन्य सभी आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करना और लगाना और उसे EWC/पानी की लाइनों आदि से जोड़ना भी शामिल होगा, जैसा कि बैंक इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है। (EWC + सीट कवर + फ्लश टैंक की मूल दर - Rs 7500/- GST के अतिरिक्त)	3.00	नग

28	मूत्रालय: निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार दीवारों पर लगे, स्वीकृत ब्रांड के, लगभग 360x340x690 मिमी आकार के, उच्च गुणवत्ता वाले सफ़ेद कांच जैसे चीनी मिट्टी के बड़े, चपटे, पीछे की ओर मुड़े हुए मूत्रालय उपलब्ध कराना और लगाना। दरों में किसी भी स्वीकृत ब्रांड का स्वतः बंद होने वाला (ऑटो स्टॉप) मूत्रालय नल, 32 मिमी व्यास का भारी गुणवत्ता वाला सीपी ब्रास वेस्ट कपलिंग, सीपी स्प्रेडर और कनेक्टिंग पाइप, सीपी वॉल फ्लैज, पीवीसी वेस्ट पाइप आदि उपलब्ध कराना और लगाना शामिल होगा; सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाने चाहिए। मूत्रालय + वाल्व + स्प्रेडर की मूल दर ₹8500/- (जीएसटी को छोड़कर) मानी जाएगी।	2.00	नग
29	अनुमोदित मेक के निम्नलिखित सीपी फिटिंग प्रदान करना और लगाना: ए) दीवार निकला हुआ किनारा के साथ कोणीय स्टॉप कॉक (मूल दर - जीएसटी को छोड़कर 750 रुपये) - 7 नग ख) 115 मिमी लंबे बेंड पाइप के साथ ओवरहेड शॉवर के प्रावधान के साथ वॉल मिक्सर (मूल दर - जीएसटी को छोड़कर 4000 रुपये) - 1 नग सी) पिलर कॉक (मूल दर - 1050 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 3 डी) दो-तरफा बिब कॉक दीवार फ्लैज के साथ (मूल दर - 1200 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 3 ई) 100 मिमी व्यास वाले शॉवर राउज़ के साथ 190 मिमी लंबा शॉवर आर्म (मूल दर - जीएसटी को छोड़कर 900 रुपये) - 1 च) 20 मिमी व्यास का छुपा हुआ स्टॉप कॉक, उजागर भाग सहित (मूल दर - 900 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 2 नग छ) हैंड शावर (हेल्थ नल) 8 मिमी व्यास, 1.2 मीटर लंबी लचीली ट्यूब और एनआरवी (बैक फ्लो प्रिवेंटर) के साथ दीवार हुक (मूल दर - जीएसटी को छोड़कर 1000 रुपये) - 3 नग h) तौलिया रॉड - 600 मिमी लंबी (मूल दर - 900 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 1 नग i) टॉवल रिंग स्क्रायर (मूल दर - 700 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 1 नग j) मिरर ग्लास शेल्फ - 600 मिमी लंबा (मूल दर - 1350 रुपये जीएसटी को छोड़कर) - 1 नग	1.00	काम
30	लगभग 50 x 100 सेमी आकार के मूत्रालय विभाजन प्रदान करना और स्थापित करना, जो 10 मिमी मोटे कठोर ग्लास पैनलों से बने हों, जिसमें आवश्यक किनारे पॉलिशिंग आदि शामिल हैं। विभाजन को एसएस सहायक उपकरण आदि का उपयोग करके आवश्यक स्तर पर दीवारों पर तय किया जाएगा, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है।	2.00	नग
31	संलग्न स्केच के अनुसार 18 मिमी मोटे स्वीकृत मेक के WPC बोर्ड से बने 750 मिमी (L) x 300 मिमी (B) x 700 मिमी (H) आकार के छोटे क्रेडेंज़ा प्रदान करना और बनाना। कुल तीन रैक हैं, और क्रेडेंज़ा के शीर्ष को अनुमोदित मेक के 15 मिमी मोटे पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइल के साथ समाप्त किया जाएगा (टाइल्स की मूल दर 260 रुपये / वर्ग फुट जीएसटी को छोड़कर) पर विचार किया जाएगा, जो उपयुक्त चिपकने वाले पदार्थों आदि के साथ डब्ल्यूपीसी बोर्ड पर तय किया जाएगा। टाइल के खुले किनारों को बेवल और पॉलिश किया जाता है आदि दर में डुको पेंट के साथ डब्ल्यूपीसी बोर्ड सतहों को खत्म करना शामिल होगा, जिसमें	3.00	नग

	प्राइमर, पुट्टी आदि लगाना, क्रेडेंज़ा के लिए एसएस पैर प्रदान करना और ठीक करना शामिल है, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी पूर्ण हैं।		
32	दीवारों, छत आदि की सतहों पर सीमेंट प्राइमर के एक कोट के ऊपर अनुमोदित मेक और शेड के 100% एक्रिलिक इंटीरियर ग्रेड प्रीमियम इमल्शन पेंट के दो कोट प्रदान करना और लगाना, सतह की तैयारी के बाद, पुट्टी लगाना आदि, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे।	30.00	वर्गमीटर

ANNEXURE I

करार की शर्तें/ ARTICLES OF AGREEMENT (FOR REFERENCE ONLY)

-----के ----- दिन पर करार की शर्तें एक पार्टी भारतीय रिज़र्व बैंक (यहाँ इसके बाद जिसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी पार्टी -----

----- (यहाँ इसके बाद जिसे "संविदाकार" कहा गया है) के बीच निर्धारित की गई हैं।

ARTICLES OF AGREEMENT made the----- day of-----, between the Reserve Bank of India (hereinafter called the Employer) of the one part and ----- (hereinafter called "the contractor") of the other part.

जब कि नियोक्ता बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास शौचालयों का नवीनीकरण करवाने का इच्छुक है और बैंक के इंजीनियर के निदेशानुसार किये जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए मात्रा का बिल, रेखाचित्र एवं विनिर्देश तैयार किये हैं।

WHEREAS the Employer is desirous of taking up the work of Renovation of washrooms near to Banking Hall entrance at Bank's Main Office premise and has prepared Bill of Quantities, drawings showing and describing the work to be done under the direction of Bank's Engineer.

और जबकि विनिर्देशों, मात्रा - अनुसूची पर अब से पार्टियों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गये हैं।

AND WHEREAS the specifications and the schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जब कि संविदाकार ने इसमें घोषित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में बताई गई शर्तों और मात्रा अनुसूची और संविदा की यथा संशोधित और दोनों पार्टियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों (उन सभी को यहाँ इसके बाद सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) पर ऊपर उक्त रेखाचित्रों में दर्शाये गये और/अथवा उक्त विनिर्देशों में वर्णित और उसमें घोषित संबंधित दरों पर मात्रा अनुसूची में शामिल करके निकाली हुई राशि और ऐसी अन्य राशि पर जो उसके अंतर्गत भुगतान योग्य होगी (यहाँ इसके बाद जिसे "उक्त संविदा राशि" कहा गया है) कार्य का निष्पादन करने की सहमति प्रदान की है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions set forth in the conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which re collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the work shown upon or described in the said Specifications and included in the Schedule of Quantities in the respective rates therein set forth amounting the sum as therein arrived or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said contractor amount").

अब इसके द्वारा निम्नानुसार यह सहमति हुई है/ NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:-

1. उक्त शर्तों में बताई गई विधि और समय-समय पर भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए संविदाकार उक्त शर्त पर और शर्त के अधीन ऊपर दर्शाए गए रेखाचित्रों और उक्त विशेष विवरणों तथा मात्रा-अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूर्ण करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor will upon and subject to the conditions annexed carry out and complete the work shown upon the contract drawings and described by or referred to in the Schedule of Quantities and in the said conditions.

2. नियोक्ता संविदाकार को उक्त संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो समय-समय पर और उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट विधि से भुगतान योग्य होगी।

The Employer will pay the Contractor the said contract Amount, or such sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said conditions.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणन, भुगतान और विभिन्न शर्तों के कार्यान्वयन, संविदा की शर्तों के प्रबंध और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।

The Reserve Bank of India will administer and directly arrange for supervision of works, certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract.

4. उक्त शर्तें और संबंधित परिशिष्ट इस करार के भाग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे और उस संदर्भ में पार्टियाँ अब से इसमें निहित उक्त शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, उनके प्रति अपने आपको समर्पित करेगी तथा अपनी-अपनी ओर से करारों का निष्पादन करेगी।

The said Conditions and Appendix thereto and the correspondence attached hereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and the correspondence and perform the agreement on their part respectively in the said Conditions and the correspondence contained.

5. उक्त नक्शे, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज़ इस संविदा का आधार होंगे।

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this contract.

6. यह संविदा न तो एक एकमुश्त संविदा है और न ही एक मद वार उजरती काम है बल्कि यह एक ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत उक्त कार्य पूरा करना है और उसके लिए दरों की अनुसूची में निहित दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक रूप से मापी गई मात्राओं अथवा उक्त शर्तों में यथा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना है।

This contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a piece contract, but it is a Contract for the complete work to be paid for according to actual quantities at the rates contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the said Conditions.

7. संविदाकार उक्त शर्तों में निर्धारित की गई विधि से सिविल कार्यों और अनुषंगी कार्यों से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसा कार्य पूर्ण होने के बाद दीवारों, फर्श, इत्यादि को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठीक कराएगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works or other Contractors appointed by the Employer and shall make good any damages done to walls, floors, etc. after the completion of such works.

8. नियोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी मद को जोड़ कर अथवा हटा कर उसके रेखाचित्र और कार्य के प्रकार में परिवर्तन कर दे अथवा उसके भागों को पूर्ण करवा ले। तथापि, ठेकेदार निविदा राशि से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे, जब तक बैंक के इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the items to be executed by adding to or omitting any items without prejudice to this contract. However, the Contractor shall not be entitled to any payment for the works done exceeding the Tender Quantities unless specifically approved in writing by the Bank's Engineer.

9. 'समय इस संविदा का महत्वपूर्ण कारक है और संविदाकार एतद्वारा सहमत है कि समय विस्तार का प्रावधान होते हुए भी वह कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से दसवें दिन से तथाकथित शर्तों में उल्लिखित किए गए अनुसार जो भी बाद में हो, काम शुरू कर देगा और उसके बाद कार्य आदेश की तारीख के 10 वें दिन से 8 हफ्ते की अवधि के भीतर पूरा काम करेगा। यदि कार्य को कार्य आदेश में निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो अनुबंधित मूल्य के अधिकतम 10% विलंबित विषय के प्रति सप्ताह संविदा राशि के 0.25% की दर से परिसमापन किया जाएगा। इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किये गये सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में ही किये जाएंगे। Time shall be considered as the essence of this Contract and the contractor hereby agrees to commence the work from tenth day of the date of issue of work order as provided for in the said Conditions and to complete the entire work within a period of eight weeks from the 10th day of date of work order subject nevertheless to the extension of time granted by the Bank. If the work is not completed within the time stipulated in the Work Order, Liquidated Damages at the rate of 0.25% of the contract amount per week of delay subject to a maximum of 10% of the contract

value will be levied.' All payments by the Employer under this Contract will be made only at Thiruvananthapuram.

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract will be made only at Thiruvananthapuram.

11. इस करार से उत्पन्न अथवा किसी भी प्रकार से इससे संबंधित सभी विवादों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम में उठे हैं और उनके संबंध में निर्णय के लिए केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालय ही न्यायक्षेत्र होंगे।

All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen at Thiruvananthapuram and only Courts in Thiruvananthapuram shall have the jurisdiction to determine the same.

12. यह कि संविदाकार द्वारा इस संविदा के विभिन्न भागों को पढ़ा गया है और उन्हें संविदाकार द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this agreement have been read by the contractor and fully understood by the contractor.

13. संविदाकार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकदार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपकरणों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर संविदाकार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना संविदाकार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और नियोक्ता हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this Agreement is fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

14.विदाकार संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और इसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का पालन करेगा और इसके अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। संविदाकार किसी एक दिन कार्य पर लगाए जाने वाले अधिकतम मजदूरों की संख्या के बारे में बैंक को बताएगा। इस संख्या में होने वाली वृद्धि को बिना किसी देरी के बैंक को बताया जाए। यदि कार्य के लिए लगाए जाने वाले मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक होती है तो संविदाकार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। संविदाकार अपने द्वारा काम पर लगाए गए सभी मजदूरों/कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

The contractor shall abide by and fulfill all requirements laid down under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the rules framed there-under. The contractor shall submit to the Bank the maximum number of Labours to be engaged on a single day in the job. Any subsequent increase should be informed to the Bank without delay, if the number of labourers employed for the job are twenty or more, the contractor shall obtain the license from the Regional Labour Commissioner. The contractor should ensure payment of minimum wages to all labourers/workmen staff employed by him.

15.क) संविदाकार कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (चेन्नै कार्यालय) के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी संविदाकार/एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख. संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग. यदि घटना में संविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जाने किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए संविदाकार उत्तरदायित्व होगा, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

घ. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

ङ. संविदाकार बैंक परिसर में काम पर लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध करवाएगा।

a) The contractor/ agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor/ Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the complaint.

b) Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaint Committee constituted by the Bank.

c) The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to the Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

d) The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

e) The contractor shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Bank's premises.

16. संविदाकार निम्न के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में बीमा करवाएगा और उसे लागू रखेगा

- i) कार्य के निष्पादन से/दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान/ व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।
- ii) कार्य के निष्पादन के दौरान संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।
- iii) लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the RESERVE BANK OF INDIA against:

- i) Any claim arising out of third-party loss/ damage to life or property caused by/during execution of the work.
- ii) Any claim arising out of loss/ damage to the workmen engaged by the contractor during execution of the work.
- iii) Any claim due to non-compliance of applicable PF/ Labour laws, ESI, regulations etc

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गई।

IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

यदि संविदाकार एक साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति हो

If the contractor is a partnership or an individual.

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और संविदाकार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said duplicate/ has caused these presents and the said two duplicate hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

यदि संविदाकार एक कंपनी है तो

If the contractor is a company.

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
SIGNED AND DELIVERED by the Reserve bank of India by the hand of
श्री / Shri

(नाम एवं पदनाम) / (Name and designation)

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए / In the presence of

(1)

पता / Address

(2)

पता / Address

साक्षी / Witness

SIGNED AND DELIVERED by

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए / In the presence of

(1)

पता / Address

(2)

पता / Address

साक्षी / Witness

THE COMMON SEAL OF

निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक ----- को संपन्न
निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में इस
पर ----- की कॉमन मुहर लगाई गई है।

Was hereunto affixed pursuant to the resolutions
passed by its Board of Directors at the meeting held
on _____ in the presence of

(1)

(2)

निदेशक, जिन्होंने निम्नलिखित की मौजूदगी में इसके
प्रमाणस्वरूप इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

Directors who have signed these presents in token
thereof in the presence of

(1)

(2)

विधिवत गठित अटर्नी एवं श्री

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by
the _____ hand of _____ Shri
_____ and duly
constituted attorney.

यदि पार्टी भागीदारी फर्म या
वैयक्तिक फर्म हो तो सभी अथवा
सभी भागीदारों की ओर से
हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

If the party is partnership firm
or an individual should be
signed by all or on behalf of all
the partners.

यदि निविदाकार उसके कॉमन
मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता
है तो हस्ताक्षर खंड संस्था के
अन्तर्नियमों में दिए गए मुहर खंड
से मेल खाने चाहिए।

If the Contractor signs under its
common seal, the signature
clause should tally with the
sealing clause in the Articles of
Association.

यदि संविदाकार चाहे कंपनी के
रूप में या वैयक्तिक रूप में
मुख्तारनामा के अंतर्गत हस्ताक्षर
करता हो तो

If the Contractor is signing by
hand of power of Attorney,
whether a company or
individual.

अनुलग्नक II

निषेध के संबंध में वचनबद्धता

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम:

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि

a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

b) मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (निविदा में उल्लिखित) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि)

c) यदि मुझे/हमें या हमारी किसी सहयोगी फर्म को उपरोक्त कार्य के लिए कार्य दिए जाने के समय या उससे पहले भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम, (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम या हमारी सहयोगी फर्म * (संबद्ध फर्म(फर्मों का नाम) को (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला गया है और यह(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

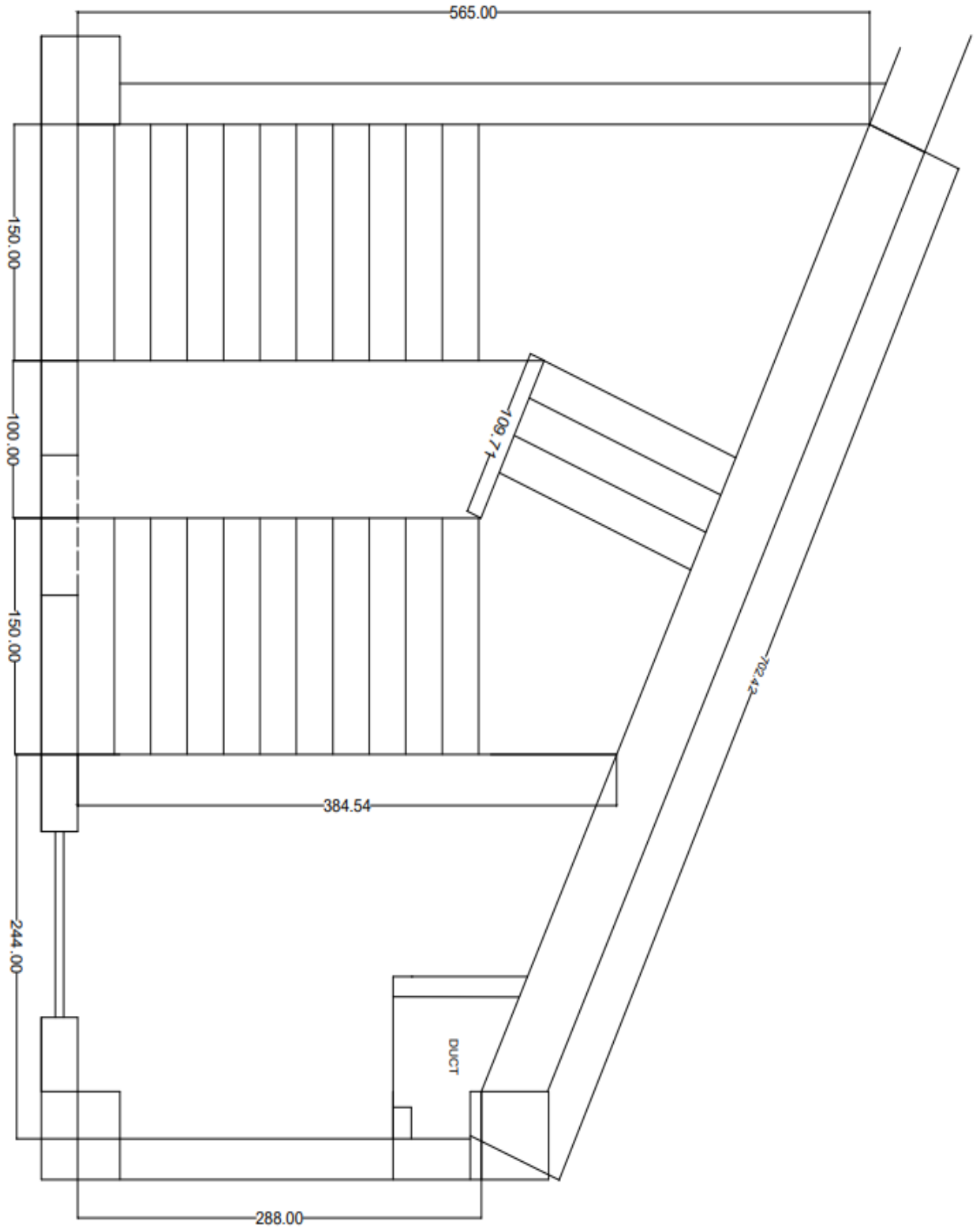
जगह

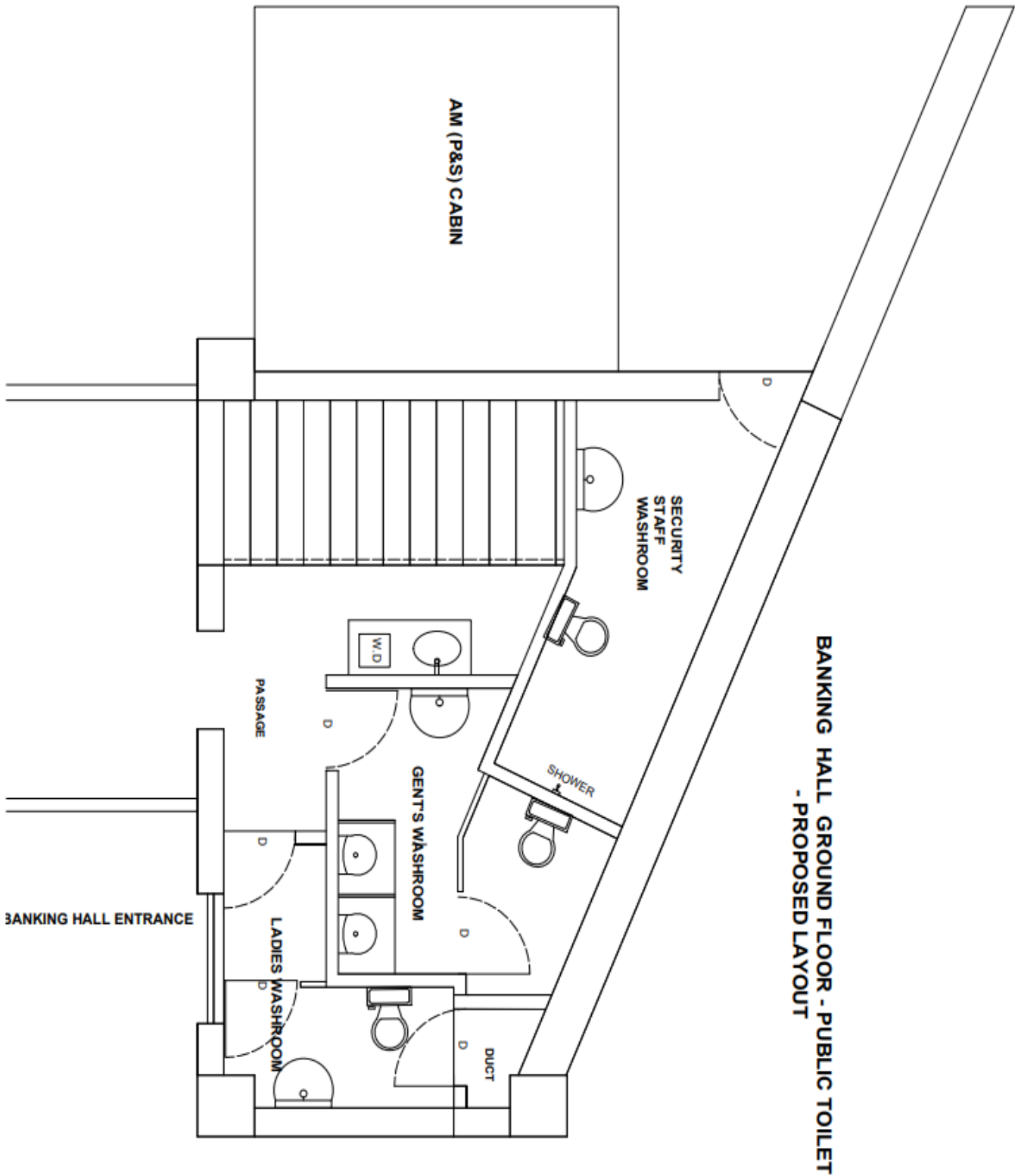
(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब कहा जाएगा जब प्रबंधन साझा हो, या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर हों और इस कारण उसे नियंत्रणकारी आवाज़ प्राप्त हो। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।

अनुलग्नक-III (चित्र)

चित्र-I

BANKING HALL BUILDING - STAIRCASE AREA - PLAN VIEW



BANKING HALL GROUND FLOOR - PUBLIC TOILET - PROPOSED FLOOR BEAM LAYOUT

